भारत सरकार वित्त मंत्रालय : राजस्व विभाग कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र–1 केन्द्रीय राजस्व भवन, सिविल लाईन रायपुर(छ.ग.)	Government of India Ministry of Finance: Department of Revenue **OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-1** Central Revenue Building, Civil Lines, Raipur(C.G)
Ph. 0771-2331005 Cont.9406717706	email.raipur.addlcit1@incometax.gov.in

क्र. सं.आ.आ. / परि.1 / राय / आ.वि.अ. / 2017–18 / दिनांक 21 / 02 / 2018

प्रति,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

संयुक्त सचिव/ओएसडी

सचिव

21 FEB 2018

विषयः–वेतनभोगी कर्मचारियों व्दारा आयकर विवरणी दाखिल करने बाबत्–

महोदया / महोदय,

इस संबंध मे विदित हो कि आयकर विभाग के संज्ञान मे यह बात आई है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच यह सामान्य अवधारणा है कि उनके वेतन से स्रोत पर कर की कटौती हो जाने के पश्चात वैयक्तिक आयकर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं हैं तथा जिन कर्मचारियों का वार्षिक सकल वेतन रू. 5 लाख तक है उन्हें अपनी वैयक्तिक आयकर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी, जिनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय पूर्व वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारणीय अधिकतम रकम से अधिक है तो उसे अपनी आयकर विवरणी नियम तारीख से पूर्व दाखिल करनी होगी। आगे यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि यदि कोई व्यक्ति नियत तिथि तक अपनी आयकर विवरणी दाखिल करने में असफल होता है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 एफ के तहत रूपये 5,000 / – शास्ति आरोपित करने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 अर्थात् निर्धारण वर्ष 2017–18 के दौरान जिन व्यक्तियों की कुल कर योग्य आय रूपये 2,50,000 / – से ज्यादा है, उनके लिए अपनी आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 है इसके पश्चात् पेनाल्टी तथा धारा 276CC के तहत अभियोजन जिसमें 3माह से 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है, की कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के महत्व को ध्यान मे रखते हुए आपके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के संज्ञान में लाये और उन्हें वित्तीय वर्ष 2016–17 अर्थात् निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए अपनी आयकर विवरणी अतिशीघ्र दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करें । उक्त के अलावा आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालय प्रमुखों को यह निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें कि वे उनके मातहत कार्य करने वाले समस्त अधिकारी / कर्मचारियों की सूची पत्र प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर निम्न प्रोफार्मा में इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें –

		Status of ITR for AY 2017-18 (FY 2016-17)		
S.No.	Name of the employee & PAN	ITR Filed	If not, reasons for the same	Signature of the employee

वेतनभोगी कृपया विभागीय वेबसाइट of htpps://incometaxindiaefiling/gov.in का उपयोग करें, उक्त वेबसाइट पर रजिस्टर करके विवरणी दाखिल की जा सकती है।

धन्यवाद।

भवदीया,

शीतल

(शीतल शाश्वत वर्मा)
संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र–1 रायपुर

कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त परिक्षेत्र–1, रायपुर (छ.ग.)